

इसके पहले ही नगरपालिका ने बैनर, पोस्टर हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि, नियम विरुद्ध लगे या नियम विरुद्ध होने के बाद भी अनुमति देकर लगे फ्लेक्स पर नगरपालिका मेहरबान नजर आ रही है। शहर में लगे अवैध होर्डिंग्स



आचार संहिता पर भारी पड़ते हैं। खस बात यह है कि अनुमति दो सौ की भी नहीं हैं। जबकि, शहर में पांच सौ से अधिक होर्डिंग्स लगे हुए हैं। इसके अलावा जिनको अनुमति दी गई है— उन्हें भी नियम कायदे ताक पर रखकर ही गई है।

क्योंकि, पलेक्खन लगाने की अनुमति दिए जाने के लिए कई नियम भी हैं, जिन्हें दरकिनार किया गया है। इस तरह से आचार संहिता का जगह-जगह कुछेक पलेक्खन उल्लंघन कर रहे हैं।

बता दें कि कुछ समय पहले होईकोर्ट में लगाई गई जनहित याचिका में नियमों का हवाला दिया गया था। सड़क किनारे भवनों, फुटपॉथ, खंभों पर लगे होर्डिंग से राहगीरों का ध्यान भंग होने के साथ ही यह मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 16(4) का उल्लंघन भी है। नियमों का उल्लंघन करते हुए ऐसे व्यस्ततम मार्गों पर भी होर्डिंग की अनुमति दी गई है, जिससे वाहन चालकों का ध्यान भटक रहा है। कई बार दुर्घटना का कारण भी बनते हैं। खासकर व्यस्ततम मार्गों पर ज्यादा ऊपर और ज्यादा नीचे लगे होर्डिंग सुरक्षा को मित्रजगद दे रहे हैं। लेकिन, जिम्मेदारों को इससे कोई संशय नहीं है।

उम्मीद थी लेकिन, भाजपा ने सभी सीटों पर पुराने चेहरे ही रीपीट किए। दो दलों में रहे सिंधिया की पकड़ का अंतर भी साफ दिख रहा है। स्पष्ट है कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 3 जिले आते हैं। मंदसौर, नीमच के अलावा रतलाम का जावरा विस तक का हिस्सा इसमें शामिल है।

साथ छोड़ आएंदर कांग्रेस से ले आए टिकट...

सिंधिया जब से भाजपा के हुए तो उन्होंने बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति में बरसों पुराने साथी राजेंद्रसिंह गौतम को प्रदेश समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य, विजेंद्रसिंह मालाहेड़ा, मुकेश काला, के.के. सिंह कालूखेड़ा को कार्यसमिति सदस्य तक बनवाया। हालांकि समंदर पटेल जैसे कुछ साथी बीच सफर में आया तो छोड़ फिर कांग्रेस में चले गए और 2023 चुनावी समर में समंदर जावद से कांग्रेस प्रत्याशी बन गए।

हीं हो रहा है। दो पहिया वाहन पर चार सवारी तो वही ट्रैक्टर
मो मशीन फांद रखी है। यह नजारा शहर के गांधी चौराहा,
ह रोज देखने को मिल जाता है।

गया और मशीन के अंदर चला गया। जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही बघाना थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को बाँट अस्पताल भेजा। जहां परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू की है।

रूपतार, हत्या का प्रकरण दर्ज

भानपुरा, 15 मार्च गुरु एक्सप्रेस।
30 वर्षीय गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। पीएम रिपोर्ट में महिला के सिर में चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस द्वारा पति, सास और सुसर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जिसमें पता चला की आरोपी पति हंसराज बंजारा ने सुसरा में पत्नी का सिर पकड़कर दीवार पर पटक दिया था।

भानपुरा टीआई रोहित कछावा ने बताया की 13 मार्च को बावड़ी खेड़ा में जसोदा बाई बंजारा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। महिला के शरीर पर चोट के निशान भी थे। महिला का शव मिलते ही मायका पक्ष ने ससुराल पक्ष पर

में महिला ने पुलिस के कायत भी की थी। उनकी गाल की रबीना और 3 साल की महिला 4-5 माह थी। पुलिस कसान श्री निया ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट से मौत की पुष्टि हुई है। 13 मार्च की सुबह दंपती के बीच विवाद होने पर पति ने पत्नी का सिर दीवार से टकरा दिया था। मामले में फिलहाल पति के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया है।

चंदे के भंडा

मंदसौर/उज्जैन, 15 मार्च गुरु
एक्सप्रेस। इलेक्टोरल बांड के माध्यम
 से राजनीतिक दलों ने जितना भी
 जिससे भी चंदा लिया है। स्टेट बैंक
 ऑफ इंडिया ने सारी जानकारी चुनाव
 आयोग को सौंप दी है। कहा जा सकता
 है कि पूरा मामला लगभग उजागर ही
 हो चुका है।

सात सौ पत्रों की रिपोर्ट में सैकड़ों
 हजारों नाम के साथ उनके आंकड़ों की
 डिटेल होने के कारण देखने में ही कुछ
 समय लग रहा है। कई वरिष्ठ पत्रकारों
 और आर्थिक राजनीतिक जानकारों ने
 अपनी जानकारी तक सूची के रिकॉर्ड
 आंकड़ों के साथ अनेक बड़े धरानों और
 समूहों के इलेक्टोरल बांड से भाजपा
 व अन्य दलों को दी गई राशि उजागर

फोड़ के बाद

की है। उसके बदले में इन संस्था संचालकों ने सरकार से कितना फायदा, कैसे लिया यह लगातार सार्वजनिक किया जा रहा है। सरकार द्वारा लिए गए दान के आंकड़े और एवज में सरकारों से लिए गए कामों से होने वाले फायदे के आंकड़े भौचक कर देने वाले हैं। जिस दिन चुनाव आयोग इसे आम आदमी के लिए सार्वजनिक करेगा। निश्चित ही सार्वजनिक बहस का दौर शुरू हो जाएगा। शासकीय बैंक के शीर्ष कार्यलय द्वारा जारी शासकीय रिपोर्टें हैं। इसलिए प्रमाणित आंकड़ों सहित दस्तावेज होंगे, इसमें शक की



चन्द्रम

भी बढ़त लेता भार

कोई गुंजाइश ही नहीं होगी।

खैर बात राजनीतिक वातावरण की हो रही थी कि लोकसभा चुनाव के लिए कुछ ही घंटे में आधार संहिता लगने की घोषणा हो जाएगी। मध्य प्रदेश के अलावा अनेक राज्यों में भाजपा के लगभग सभी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होने के साथ प्रत्याशियों के प्रचार की रंगत भी सतह पर नजर आने लगी है। चंदे के आंकड़ो का भंडाफोड़ हो जाने के बाद भी अगर चुनावी वातावरण में भाजपा भारी नजर आए तो इसे क्या माना जाएगा! विडंबना यह है कि इतनी बड़ी चंदेबाजी उजागर होने के बाद भी विचार संचार नहीं हो पाए जाने तक कौन प्रत्याशियों के नाम पाए थे। जबकि विधानसभा कार्यालय लगभग प्रारंभ भी किया सतह पर भी नजर आने लग प्रबुद्ध वर्ग और इस बात का जो चंदाकांड के उभार भाजपा के अफि हो रहा है ना ही होता है नजर



न भगत

कांग्रेस

भाजपाई वातावरण...

हर व्यक्ति ग्राहक है, चाहे वह वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त कर रहा हो-मोदी

मंदसौर, 15 मार्च गुरु एक्सप्रेस। 15 मार्च को जिला उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक मर्यादित मन्दसौर के सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने अपने विचार प्रकट किये। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक संजय मोदी ने कहा कि वे खुद बैंक के कर्मचारी हे उनके पास कई प्रकार के ठगी के मामले आते है, सबसे ज्यादा मामले मोबाइल पर हुए फ़्रड के आते है लोग अनचाही लिंक पर क्लिक करके ठगी का शिकार होते है। उससे सबको बचना चाहिए क्युकी लालच ही बुरी बला है।

जिला सहकारी बैंक के आर.सी.जैन ने कहा कि हर व्यक्ति ग्राहक है चाहे वो उत्पादक हों या सेवा प्रदाता। खरीदारी करते समय समझदारी रखना चाहिए। बिल हमेशा लेने की आदत बनाना चाहिए। यह बिल तब काम आता है जब आपके द्वारा खरीदी गई वस्तु खराब

निकलती है या गुम हों जाती है। विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के जिला अध्यक्ष नवनीत शर्मा ने कहा कि उपभोक्ता और ग्राहक दोनों अलग अलग परिभाषित करने वाले शब्द है। उपभोक्ता यानि उपभोग करने वाला जो व्यवसायिक शब्द हों जाता है और ग्राहक यानि ग्रहण करने वाला यह ग्राहक शब्द आत्मीयता से जुडा शब्द है। ग्राहक यानि गृहण। वस्तु को खरीदकर गृहण करना ही सही रूप में ग्राहक का कर्तव्य है। पहले के समय में डकैती होती थी, चोरी होती थी लेकिन अब डकैत व चोर सीधे मोबाइल के माध्यम से आपके बैंक में सेंध लगाते है व आपके फोन के सारे डाटा को चुरा लेते है। फिर शुरू होता ब्लैकमेल का खेल। इससे सावधान रहने की जरूरत है। हडबडाहत में कोई सा भी ऐसा काम न करें जिससे मुसीबत में फ़ंस सके। संचालन करते हुए ग्राहक पंचायत अग्न्यास मंडल प्रमुख व उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ उमरावसिंह जैन ने कहा कि एक ग्राहक के रूप में हमेशा



जागरूक रहकर अपने अधिकारों उपयोग करना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। हमें छह प्रकार के अधिकार प्रदान किये गए हैं। वस्तु या सेवा में किसी प्रकार की कमी, त्रुटि होने पर उसका निराकरण न करने वाले निर्माता, विक्रेता या सेवा प्रदाता के विरुद्ध जिला उपभोक्ता संरक्षण प्रतितोषण आग्न्यास मंडल प्रमुख व उपभोक्ता अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम को आरसेटी के डायरेक्टर एस.दयाल,

ग्राहक पंचायत के सचिव विजय कोठारी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों द्वारा मौं सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। स्वागत उद्बोधन देते हुये जिला उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के हित में शासन द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। अंत में आभार विभाग के जेएसओ श्रीमती आराधना द्वारा व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के विजय कोठारी, विरेन्द्र चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बीएस जामोद, नापटोल निरीक्षक भुषण, उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जेस ओं डोडिया, दीपक ,सेल्समेन व आम ग्राहक उपस्थित रहे।

रामलीला के कलाकारों ने धनुष यज्ञ प्रसंग का किया मंचन



मनासा, 15 मार्च गुरु एक्सप्रेस। रामलीला के मंच से कलाकारों ने धनुष यज्ञ प्रसंग को जनता के सामने प्रस्तुत किया। जिसे देखकर जनता आनंदित हो उठी। उल्लेखनीय हो कि गांव नलखेडा में श्री शिव शक्ति रामलीला मंडल द्वारा लगातार चोथे वर्ष हाथरस की तर्ज पर आधारित रामलीला का मंचन किया जा रहा है।

इसमें गांव के युवा कलाकारों द्वारा भगवान राम के जीवन पर आधारित विभिन्न प्रसंगों का सजीव चरित्र चित्रण किया जा रहा हैं। रामलीला के तीसरे दिन सांस्कृतिक मंच से कलाकारों ने धनुष यज्ञ प्रसंग को जिवंत किया। रावण

की भूमिका निभाने वाले कमलेश शर्मा, बाणापुर कैलाश राठौर ने अपने अभिनय से उपस्थित जनता को खुब आनंदीत किया। ताड़का बंटी शर्मा, जनक दशरथ शर्मा, कौशलया ललीत पाटीदार, मारिच हरिश शर्मा व सखी का अभिनय प्रदीप लोहार ने निभाया। ग्रामीण क्षेत्रों में रामलीला को देखने आज भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। देश में हिन्दूत्व के प्रति लोगों की बढ़ती आस्था के चलते ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही अब शहरों में भी रामलीला का आयोजन होने लगा हैं। जहां लोग मंच कलाकारों द्वारा निभाए गए फिरदार को देखकर आनंदित होते हैं। तीसरे दिन रामलीला में अतिथि ग्राम

पंचायत ढाकनी सरपंच राजेश कारपेंटर, समाजसेवी निलेश शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि युवा कलाकारों द्वारा जो अभिनय किया जा रहा है, यह एक अनुटी कला है, जो आप लोग विभिन्न रूप में मंच पर आकर अपनी कला से सभी को आनंदित कर रहे हैं। मानस की कृपा होने पर ही कलाकार यहां तक पहुंच पाता हैं। समाजसेवी पवन धनगर ने कहा कि सभी कलाकारों द्वारा रामलीला का आयोजन ऐसे ही अनवरत चलता रहना चाहिए। इस दौरान पोस्ट मेन कमलेश शर्मा, डाक्टर निलेश शर्मा, राजेश कनेरिया, डाक्टर राहुल सेन, महावीर डोसी ने भी जनता को संबोधित किया।

विपाशेरावती तीरे, शुतुद्रयाश्च त्रिपुष्करे, विवाहादि शुभे नेष्टं, होलिकाप्राग्दिनाष्टकम् ।।

2024 में होलाष्टक 17 मार्च से 24 मार्च तक रहेगा

मंदसौर, 15 मार्च गुरु एक्सप्रेस। होलाष्टक के शाब्दिक अर्थ पर जायें, तो होला + अष्टक अर्थात होली से पूर्व के आठ दिन, जो दिन होता है, वह होलाष्टक कहलाता है। सामान्य रूप से देखा जाये तो होली एक दिन का पर्व न होकर पूरे नौ दिनों का त्यौहार है। होलाष्टक के समय शुभ कार्य वर्जित होते है यह फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है होलाष्टक फिर आठ दिनों तक रहता है और सभी शुभ मांगलिक कार्य रोक दिए जाते है यह दुलहंडी पर रंग खेलकर खत्म होता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी पर 2 डंडे स्थापित किए जाते हैं। जिनमें एक में होलिका तथा दूसरे को प्रह्लाद माना जाता है। इससे पूर्व इस स्थान को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है फिर हर दिन इसमे गोबर के उपल, लकड़ी घास और जलने

17 मार्च से आठ दिन तक रुक जाएंगे मांगलिक कार्य

मंदसौर, 15 मार्च गुरु एक्सप्रेस। सनातन मान्यतानुसार होली के आठ दिन पहले होलाष्टक लग जाता है। इसका समापन होलिका दहन के साथ होता है। इस अवधि में सभी सोलह संस्कारों सहित शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, होलाष्टक 17 मार्च से शुरू हो जाएगा और 24 मार्च तक रहेगा। होलाष्टक की शुरुआत के साथ ही होलिका दहन के लिए खम्भ गड जाएंगे। होलाष्टक की अवधि शोक की मानी जाती है, इसलिए इस दौरान पूजन, पाठ, फाग, भजन तो होंगे लेकिन मुडन, गृह प्रवेश, संपत्ति क्रय या नए कार्य की शुरुआत आदि शुभ कार्य नहीं होंगे।

24 मार्च को समाप्त—होलाष्टक फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से शुरू होकर फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक रहता है। अष्टमी तिथि से शुरू होने कारण भी इसे होलाष्टक कहा जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 16 मार्च को रात 9:30 बजे से होगा। इसका समापन 17 मार्च को सुबह 9.53 बजे होगा। ऐसे में होलाष्टक 17 मार्च से लगेगा और 24 मार्च को समाप्त होगा। इसके बाद 25 मार्च को होली मनाई जाएगी।

तो होली से ठीक आठ दिन पहले उसने प्रह्लाद को मारने के प्रयास आरंभ कर दिये थे। लगातार आठ दिनों तक जब भगवान अपने भक्त की रक्षा करते रहे तो होलिका के अंत से यह सिलसिला थमा। इसलिये आज भी भक्तइन आठ दिनों को अशुभ मानते हैं। उनका यकीन है कि इन दिनों में शुभ कार्य करने से उनमें विघ्न बाधाएं आने की संभावनाएं अधिक रहती हैं।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक मे सभी शुभ कार्य करना वर्जित रहते हैं, क्योंकि इन आठ दिवस 8 ग्रह उग्र रहते है। इन आठ दिवसो मे अष्टमी को चन्द्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल, और पूर्णिमा को राहु उग्र रहते हैं। इसलिये इस अवधि में शुभ कार्य करने वर्जित है।

होलाष्टक में न करें ये कार्य— 11. विवाह: होली से पूर्व के 8 दिनों में भूलकर

भी विवाह न करें। यह समय शुभ नहीं माना जाता है, जब तक कि कोई विशेष योग आदि न हो। 2. नामकरण एवं मुंडन संस्कार: होलाष्टक के समय में अपने बच्चे का नामकरण या मुंडन संस्कार कराने से बचें। 3. भवन निर्माण: होलाष्टक के समय में किसी भी भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ न कराएं। होली के बाद नए भवन के निर्माण का शुभारंभ कराएं। 4. हवन - यज्ञ: होलाष्टक में कोई यज्ञ या हवन अनुष्ठान करने की सोच रहे हैं, तो उसे होली बाद कराएं। इस समय काल में कराने से आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। 5. नौकरी: होलाष्टक के समय में नई नौकरी जॉर्जिन करने से बचें। अगर होली के बाद का समय मिल जाए तो अच्छा होगा। अन्यथा किसी ज्योतिषाचार्य से मुहूर्त

होलिका दहन में लकड़ी का नहीं गौ काष्ठ का उपयोग करें: वन मंत्री

मंदसौर, 15 मार्च गुरु एक्सप्रेस। वन, पर्यावरण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से होलिका दहन में लकड़ी का उपयोग नहीं करते हुए गौ काष्ठ का उपयोग करने की अपील की है। श्री चौहान ने कहा कि भारतीय संस्कृति में होली पर्व का विशेष महत्व है। समाज के सभी वर्ग होली पर्व को मिल-जुलकर हर्षोल्लास से मनाते हैं। उन्होंने कहा कि होलिका दहन में लकड़ी का उपयोग किया जाता है। वृक्षों की उपयोगिता पर्यावरण संतुलन तक सीमित नहीं है। जीवन देते हैं। करोड़ो जीव-जन्तुओं की रक्षा-सुरक्षा करते हैं। श्री चौहान ने कहा कि गुलाल के साथ मिल-जुलकर होली का पर्व मनायें। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएँ दीं।

वन, पर्यावरण राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार ने होली के अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की है कि होलिका दहन में लकड़ी के स्थान पर गौ-काष्ठ का उपयोग करना पर्यावरण के लिए ज्यादा उचित है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण सुरक्षा और वनों का संरक्षण होगा। श्री अहिरवार ने कहा कि समय की आवश्यकता के अनुसार लकड़ी का कम से कम उपयोग किया जाये। उन्होंने होली के अवसर पर प्रदेशवासियों को होली पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दीं।

माहेश्वरी महिला मंडल ने मनाया फाग महोत्सव



मंदसौर, 15 मार्च गुरु एक्सप्रेस। आज माहेश्वरी महिला मण्डल द्वारा रंगारंग फाग का प्रोग्राम रखा गया, होली के रंसिया कान्हा पर भजन और डांस किए गए। राधा कृष्ण का शृंगार कर महिलाओं द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं, साथ ही वार्षिक साधारण सभा की मीटिंग की गई। महिलाओं ने बढ चढकर हिस्सा लिया। रंगा रंग प्रोग्राम मे रंग गुलाल और फूलों से होली खेली गई। मण्डल की अध्यक्ष श्रीमती निलीमा मारु, सचिव श्री मति संगीता दरक, माहेश्वरी महिला मंडल की महिलाओं ने बढ चढकर भाग लिया। ब्रजलता तोषनीवाल, लता तोषनीवाल, सावित्री समदानी। ऋतु समदानी स्नेहलता मूंदडा, शिल्पा झंजर, मनोरमा मूंदडा, मीना लडा, रश्मि बसेर, रिकु सोडानी, सुनिता मूंदडा, साधना चोकडा अंजू मालपानी।



मप्र मानव अधिकार आयोग के नाम से मिलते जुलते नाम व लोगों का कोई भी दुखपयोग ना करें- ममतानी

नौमच, 15 मार्च गुरु एक्सप्रेस। म.प्र.मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री मनोहर ममतानी ने शुक्रवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में जनसुनवाई करते हुये कहा, कि म.प्र.मानव अधिकार आयोग भोपाल के नाम से मिलते जुलते नाम व लोगों का दुरुपयोग कोई भी ना करें। उन्होंने कहा कि म.प्र.मानव अधिकार आयोग भोपाल के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था व्दारा आयोग के नाम लोगों या आयोग के नाम से मिलते जुलते नाम, लोगों का उपयोग नहीं किया जा सकता। वाहनों पर भी आयोग से मिलते जुलते नाम की पट्टिका नहीं लगाई जा सकती।

आयोग के अध्यक्ष श्री ममतानी ने एसपी को निर्देश दिए है, कि यदि कोई

भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से म.प्र.मानव अधिकार आयोग के नाम या उससे मिलते जुलते नाम, लोगों का उपयोग करता है या वाहन पर नाम पट्टिका लगाता पाया जाता है, तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। अध्यक्ष श्री ममतानी

ने कहा कि म.प्र.मानव अधिकार आयोग के नाम से मिलते जुलते नाम का उपयोग कर कोई भी किसी कार्यालय या संस्था का निरीक्षण नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करता है, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।



सुवासरा नगर में कुत्तों का आतंक गौ माता को बना रहे निशाना

सुवासरा, 15 मार्च गुरु एक्सप्रेस। क्षेत्र में दिनों दिन मेला ग्राउंड स्थित पानी फिल्टर टंकी निकट काटने वाले कुत्ते का आतंक बना हुआ है। 15 मार्च को सुबह 9:00 बजे पानी टंकी के पास कुत्ते ने गौ माता को फिर काटा गौ माता की मौके पर ही मौत हो गई। हरि गौशाला के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया अकेले मवेशियों को देखकर कुत्ता मुंह नाक, पुंछ पर हमला करता है पास में ही 100 मीटर की दूरी पर एक मिडिल स्कूल है अशोक शर्मा ने कहा कि अनाहोनी घटना से क्षेत्र में भय व्याप्त है यह कुत्ता करीब 20 पशुओं पर हमला कर चुका है जिसमें कई मवेशी मर चुके हैं संबंधित जानकारी सुवासरा, नगर परिषद संबंधित अधिकारी को लिखित में अवगत करावा चुके हैं।

कार्यालय कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी, जिला मन्दसौर (म.प्र.)

क्रमांक/233/कॉलोनी / 2024

मंदसौर, दिनांक - 15/03/2024

***** सार्वजनिक सूचना *****

(म.प्र. नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के नियम 23(3) व 23 (4) के अन्तर्गत)

नगर परिषद पिपलियामण्डी की सीमा में दिनांक 31.12.2022 के पूर्व अस्तित्व में आई अनाधिकृत कॉलोनियों को विन्हाकित होकर कॉलोनियों के रहवासियों एवं हितधारकों को दिनांक 12/02/2024 को दवे आपति हेतु सार्वजनिक सूचना नियम 23(3) में प्रकाशन किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड महाराष्ट्र जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक/ 557/ रैंडर/ 2024 महाराष्ट्र, दिनांक - 13/03/2024 से सीमांकन के दौरान सर्वे क्र. रकबा इत्यादि में संशोधन उपरान्त म.प्र. नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के नियम 23 (3) के अंतर्गत उक्त कॉलोनियों की सूची सार्वजनिक की जाती है। नियम 23(4) के अन्तर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदान करने हेतु 12 कॉलोनियों के अभिन्यास तैयार किये गये। जिसका प्रारम्भिक प्रकाशन निम्नानुसार किया जाता है। इन अनाधिकृत कॉलोनियों के रहवासियों एवं सभी हितधारकों को इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अवगत करया जाता है कि वे उक्त संबंध में अपने दवे/ आपतियां इस सूचना प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अग्रहस्ताक्षरवात् अथवा नगर परिषद कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं जिनमें यथोचित विचार किया जायेगा। निष्धारित समयवाधि के पश्चात प्राप्त दवे आपति विचार योग्य नहीं होंगे।

क्र.	वार्ड क्र.	अनाधिकृत कॉलोनी का नाम / स्थान	पू - स्वा मी का नाम	अनाधिकृत कॉलोनी की भूमि का विवरण		
				ग्राम / कस्बा एवं पटवारी हल्का क्र.	खसरा क्र.	रकबा (बैरफल) हेक्टेयर में
1	03	महु नीमच मार्ग	राजेबर पिता भेरुलाल गुर्जर	पिपलियामण्डी प.ह.नं. 32	118/मिन-3	0.100 हे.
2	05	कृषि उपज मंडी के सामने मनासा मार्ग	मुकेश पिता रामनारायण माली	पिपलियामण्डी प.ह.नं. 32	208 पैकी	0.288 हे.
3	05	बालाजी मंदिर के पीछे	लक्ष्मीनारायण पिता प्यारचंद माली	पिपलियामण्डी प.ह.नं. 32	187/मिन-1	0.200 हे.
4	03	कनचड्डी मार्ग	जितेन्द्र पिता कैलाशचंद्र लक्का व यशवंत पिता गोपाल पाटीदार	पिपलियामण्डी प.ह.नं. 32	2/4/मिन-4/मिन-1/	10.630 हे.
5	03	अजय टॉकिंग के सामने	रमेशचंद, धनलाल, शम्भूलाल व श्यामलाल पिता मूलचंद	पिपलियामण्डी प.ह.नं. 32	368/ 1/मिन-1/1/1	0.385 हे.
6	05	बालाजी मंदिर के पीछे	सोहनलाल पिता लालाराम माली	पिपलियामण्डी प.ह.नं. 32	169/ 1	0.490 हे.
7	05	बी एस पन एल कार्यालय के पीछे	सुनील पिता मिश्रचरीलाल चौधरी	पिपलियामण्डी प.ह.नं. 32	188/मिन-2/मिन-2	0.170 हे.
8	04	काचरिया मार्ग	कोशल्याबाई बेवा रमेशचंद व किशोर पिता रमेशचंद माली	पिपलियामण्डी प.ह.नं. 32	134/2	0.263 हे.
9	05	कृषि उपज मंडी के सामने	जगदीश पिता नानुराम माली, जसवंतसिंह राजपुत व रणजीतसिंह राजपुत	पिपलियामण्डी प.ह.नं. 32	195, 196, 197 में 196 /2/मिन-1, 197/2, 215 पै., 216 व 204/1	0.630 हे.
10	03	कनचड्डी मार्ग	हेमन्त पिता मिश्रीलाल हींगड, आर्वेश पिता चांदमल अवाल व हरिश्चंकर पिता किशनलाल पाटीदार	पिपलियामण्डी प.ह.नं. 32	10/2/2/2	0.250 हे.
11	03	पावागड माताजी मंदिर के पास	कमल कुमार पिता शंकरलाल गुर्जर	पिपलियामण्डी प.ह.नं. 32	12/मिन-1/मिन-1/2	0.670 हे.
12	01	पिपलियामण्डी पुलिस थाने के सामने	हेमन्त पिता मिश्रीलाल हींगड व शंशुदयाल मूलचंद	पिपलियामण्डी प.ह.नं. 32	212, 213, 214, 215	0.450 हे.

उपरोक्त विहित अनाधिकृत कॉलोनियों के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिये सक्षम प्राधिकारी /नगर परिषद के कार्यालय में कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है। इस सूचना में निष्धारित समयवाधि में सूझाव दवे/ आपतियां प्राप्त नहीं होने की स्थिति में माना जावेगा कि उक्त संबंध में किसी को कोई आपति नहीं है।

कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी

जिला मंदसौर (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद भानपुरा जिला मंदसौर मप्र

क्रमांक/309/न.प./2024

भानपुरा दिनांक - 15.03.2024

सूचना गृह स्वामियो का नाम परिवर्तन किये जाने के संबंध में

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि -नगर पालिका अधिनियम 1968 की धारा 150- 151 के अंतर्गत इस कार्यालय मे निम्नानुसार आवेदन/ आवेदकगणों द्वारा नगर परिषद रिकार्ड में दर्ज निम्नानुसार आधारों पर गृह स्वामियो ने अपने नाम के सम्मुख दर्षित माध्यम अनुसार दर्ज किये जाने हेतु आवेदन (प्रकरण) प्रस्तुत किया है। परिवर्तन किये जाने में जिस किसी को कोई आपति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस में इस कार्यालय में आपति प्रस्तुत कर सकते हैं। अवधि समाप्त होने के उपरांत आवेदन /आवेदकगणों का नाम रजिस्टर हाउस में संबंधित गृह क्रमांक पर अंकित किया जावेगा और आपकी कोई आपति मान्य नहीं होगी।

क्रं.	प्र.क्रं.	हस्तातरणकर्ता का नाम	हस्तांतरितती का नाम	हस्तांतरित की जाने वाली सम्पत्ति	आधार
1	36	मदनलाल माधुजी	रेखा पति संजयजी	भवन क्रं. 86 पैकि डाक बंगला चौराहा वार्ड क्रं.01	विक्रय पत्र
2	37	देवीलाल पिता भेरुलाल	अनोखीबाई देवीलाल	भवन क्रं. 4.14 का आधा भाग छत्री एरिया वार्ड क्रं. 15	सह स्वामित्व
3	38	घनश्याम नारायणजी माली	संजय, पिकेश गायरी, नीतू पिता घनश्याम	भवन क्रं. 122/ 1 कुथर मोहल्ला वार्ड क्रं.03	वंशानुक्रम
4	39	प्रेमबाई रतनलाल	महेश रतनलाल बागडिया	भवन क्रं.887 का भाग हरिजन मोहल्ला वार्ड क्रं. 06	दान पत्र
5	40	भुवानीलाल प्रभूलालजी गुर्जर	अनू बी पति गुड्डू खान	भवन क्रं. 1175 खटीक मोहल्ला वार्ड क्रं. 07	विक्रय पत्र
6	41	वीराबाई काशीरामजी वाघवा	प्रमोद, पदमा, निर्मला, हंसराज, मीना वधवा पिता काशीरामजी	भवन क्रं. 1071/ 1 पंजाबी कालोनी वार्ड क्रं. 01	वंशानुक्रम
7	42	श्री नाकोडा डेवलप्स भानपुरा	दिव्यदीपसिंह पिता जितेन्द्रसिंह	भूखंड क्रं. 178 कुल में 900 वर्गफीट अंबे रेसीडेंसी वार्ड 01	विक्रय पत्र
8	43	जगदीश, भगवतीप्रसाद, भागचंद्र मदनलाल	भगवतीबाई पति भगवतीप्रसादजी	भवन क्रं. 2053 नदी मार्ग वार्ड 14	वंशानुक्रम
9	44	कैलाशचंद्र किशनलालजी	हीरामणि पति कैलाशचंद्र	भवन क्रं.537, 538 लखारा गली, वार्ड 04	वंशानुक्रम
10	45	फूलचंद्र नंदाजी	दीपिका पति दुर्गेशजी राठौर	भूमि सर्वे क्रमांक 374/ 4 पैकि रकबा 0.012 हे. याने 1250 वर्गफीट वार्ड 09 नगर देवता का चबुतरा	विक्रय पत्र डायवर्शन
11	46	महेन्द्रसिंह अमरावसिंह सिसोदिया	माया पति दिनेश	भूमि सर्वे क्रमांक 1206/ 1/2/ 1 पैकि रकबा 0.008 हे. याने 900 वर्गफीट रामपुरा गेट से इंद्रा कालोनी लागत वार्ड क्रं.01	विक्रय पत्र डायवर्शन

विनोद शिव भानपिया	रेहाना डॉ. जाकिर	मकसूद अंसारी	मोहम्मद अशफाक
अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	प्रभारी राजस्व	मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद भानपुरा	नगर परिषद भानपुरा	नगर परिषद भानपुरा	नगर परिषद भानपुरा

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद मन्दसौर (म.प्र.)



संकल्प से सिद्धि तक

मध्यप्रदेश सरकार जनता की सच्ची सेवक



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के चहुंमुखी विकास एवं हर नागरिक का कल्याण करने की जिम्मेदारी उठाई है। यह यात्रा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूलमंत्र पर गरीब कल्याण का लक्ष्य लेकर अनवरत आगे बढ़ती रहेगी।



◀◀ विकसित भारत-विकसित मध्यप्रदेश ▶▶

पीएमश्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा तथा
पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ
धार्मिक पर्यटन विकास का महत्वपूर्ण कदम

पीएमश्री एयर एम्बुलेंस का शुभारंभ
गंभीर बीमार तथा दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को एयरलिफ्ट से
समय पर उपचार की सुविधा।
आयुष्मान कार्ड धारकों को निःशुल्क लाभ

₹35000 करोड़ लागत की 3.37 लाख हेक्टेयर सिंचाई
क्षमता की **पार्वती- कालीसिंध-चंबल लिंक** परियोजना स्वीकृत

सागर में **रानी अवंतीबाई लोधी** विश्वविद्यालय,
गुना में **क्रांतिवीर तात्या टोपे** विश्वविद्यालय एवं
खरगोन में **क्रांतिसूर्य टंट्या भील** विश्वविद्यालय का शुभारंभ

₹350 करोड़ की लागत से **इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर** का भूमिपूजन।
भोपाल, देवास, ग्वालियर, जबलपुर एवं सतना में भी
एलिवेटेड कॉरिडोर प्रगतिशील

औद्योगिक विकास को तेज करने के उद्देश्य से उज्जैन में दो दिवसीय
रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सफल आयोजन

प्रधानमंत्री जी द्वारा **सायबर तहसील परियोजना**
का सभी 55 जिलों में शुभारंभ
जनहितैषी विषयों पर त्वरित निर्णय- **बीआरटीएस हटाने का फैसला**

गेहूं के **समर्थन मूल्य** ₹2275 के साथ ₹125 प्रति किंचटल
बोनस देने का निर्णय

तेंदूपत्ता संग्राहकों का मानदेय ₹3000 प्रति बोरा
से बढ़ाकर किया ₹4000

मोदी की गारंटी है आज - मध्यप्रदेश में विकास राज



D-11249/23

मध्यप्रदेश शासन

आकलन : म.प्र. माध्यम/2024